

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी—

रामरतन साँकरिया

आर.ए.एस.

मिसल नम्बर

तारीख दायरा

तारीख निर्णय

09/2015 प्रा.पत्र/2015

20.02.2015

14.02.2025

भानू प्रताप सिंह गहलोत खाद्य सुरक्षा अधिकारी, केन्द्रीय दल, कार्यालय आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर राज0।

.....प्रार्थी

बनाम

- 1—श्री सत्यनारायण विजय पुत्र श्रीगणपत लाल खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक मैसर्स गणपत लाल बृज मोहन विजय, ट्रक स्टेण्ड वार्ड नं. 07 मालपुरा जिला टोंक।
- 2—श्री सुशील कुमार जैन पुत्र श्री पारस चन्द जैन, मालिक मैसर्स श्री कन्हैया एग्रो प्रोडक्ट्स, जी-33, इण्डस्ट्रीयल एरिया मालपुरा(टोंक)
- 3—श्री अशोक कुमार गोयल, मालिक मैसर्स शिवम फूड प्रोडक्ट्स, 166-बी-सी-डी, आर.सी. एस. वनस्पति कम्पाउण्ड इण्डस्ट्रीयल एरिया, झोटवाडा, जयपुर।

.....अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 52 एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित—

- 1—पेरोकार सरकार।
- 2—अभिभाषक अप्रार्थी श्री अशोक कासलीवाल उप.।

:-निर्णय:-

दिनांक 14/2/25

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 19.11.2011 को समय सायं 04:30 पी.एम. पर मालपुरा में स्थित मैसर्स गणपत लाल बृज मोहन विजय, ट्रक स्टेण्ड वार्ड नं. 07 मालपुरा जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता की हैसियत से श्री सत्यनारायण विजय पुत्र श्रीगणपत लाल अपने प्रतिष्ठान मैसर्स गणपत लाल बृज मोहन विजय, ट्रक स्टेण्ड वार्ड नं. 07 मालपुरा जिला टोंक पर खाद्य प्रदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, श्री सत्यनारायण विजय पुत्र श्रीगणपत लाल को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री सत्यनारायण विजय पुत्र श्री गणपत लाल ने स्वयं को खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा, निरीक्षण करने पर पाया कि प्रतिष्ठान में आम जनता को विक्रय हेतु लकड़ी की एक रैक में 1 लीटर की लगभग 10 प्लास्टिक की बोतलें सरसों के तेल (शिवम) रखा हुआ था, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व



  
प्रतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
टोंक

विनियम 2011 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने एवं मिलावट की शंका होने पर श्री सत्यनारायण विजय पुत्र श्रीगणपत लाल को फार्म नं. 5 ए में वास्ते नमूना क्य करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की एवं दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री सत्यनारायण विजय पुत्र श्रीगणपत लाल व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर कर तस्दीक किया। एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह सरसों का तेल (शिवम) वास्ते नमूना जांच क्य किया जा रहा है, 1 लीटर की 4 प्लास्टिक की बोतले नमूना जांच हेतु खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा सरसों का तेल (शिवम) 1 लीटर की 4 प्लास्टिक बोतलें को ज्यों का त्यों अलग-अलग खाकी कागज से लपेटकर नियमानुसार चार भाग तैयार किये एवं चारों नमूना भागों के लिए चार लेबल तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गए खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक ईई-140 दर्ज कर, आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग-अलग 2 खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टॉक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. ईई-140 नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भागों को नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक अजमेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को राज्य अभिहित अधिकारी एवं संयुक्त निदेशक (ग्रा. स्वा.) निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक दिनांक 05.03.2012 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एलएस/156/fssa/2011/156 दिनांक 28.11.2011 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्य किया गया सरसों का तेल (शिवम) खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम-2006 एवं नियम व विनियम 2011 के अनुसार मिथ्याछाप (Mis-Branded) स्तर का



प्रतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
टॉक

होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेताओं के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से उनके अभिभाषक श्री अशोक कासलीवाल उपस्थित हुए एवं बहस की तथा बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट/दोष नहीं है तथा यह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी मानकों को पूरा करता है। मात्र इसके लेबल पर कुछ आवश्यक जानकारी मानक प्रारूप में अंकित नहीं होने से उक्त नमूना मिथ्याछाप स्तर का होना पाया गया है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावे।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस सरसों का तेल (शिवम) का विक्रय कर रहे थे वह जांच में मिथ्याछाप (Mis-Branded) स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 52 में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अभिभाषक अप्रार्थीगण एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया सरसों का तेल (शिवम) का नमूना जांच में मिथ्याछाप (Mis-Branded) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर कुल शास्ति रूपये 10,000/- (अक्षरे दस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमिल दाखिल दफ्तर हो।



आज दिनांक 14/2/25 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(सामरतन साकिया)  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
न्याय निर्णय अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
टोंक-राज0